न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 13/2025(GCMS 2025/94)

(आरटीआई संख्या 212185506600348)

श्री राकेश अग्रवाल मार्फत हरीचरण (मूनीम) जज बंगलों के पीछे, नरसिंह कॉलोनी, गंगापुरा सिटी–322201 (मोबाईल नम्बर 70147–69213)

<u>बनाम</u>

प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>26.03.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राकेश अग्रवाल स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2024 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राकेश अग्रवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जिसकी प्रति अपीलार्थी ने अपील के साथ शामिल नहीं की है।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक [illegible]/86 दिनांक 14.01.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:51:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्र. सं.	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदन द्वारा चाही गई सूचना का जवाब
1	How much matters, from RY-2020 to RY-2024, in which land uses was converted from agricultural to religious and haritable purpose?	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से और काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही स्वयं का मत दे सकते है कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का अधिकार नियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार आप द्वारा चारों बिन्दुओं की चाही गई सूचना, प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना देय नहीं है।
2	Upon which rate of land uses conversion charges these conversions were made?	
3	Concerned laws and rules and guidelines of your department about to these land uses conversions, especially agricultural religious and charitable purpose?	
4	Were these conversions made free of cost, if yes, the how much institutions were beneficiary during period from RY-2020 to RY-2024?	

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:51:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:51:20 IST
Reason: SelfAttested